BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 34 of 2024

IN THE MATTER OF:

L.B RAI **....APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH **....RESPONDENT**

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Action Taken Report on behalf of Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 24.04.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	1-4
2	**ANNEXURE R/1:** A true copy of the Inspection Report dated 15.05.2024 alongwith Analysis Report.	5-7
3	**ANNEXURE R/2:** A true copy of letter dated 17.02.2024 refusing the grant of CTO.	8-10
4	**ANNEXURE R/3:** A true copy of the Show Cause Notice dated 01.07.2024.	11-12
5	**ANNEXURE R/4:** A true copy of the letter dated 27.08.2024 imposing the Environmental Compensation	13-14

MEMBER SECRETARY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONROL BOARD

Through

AMIT SHUKLA ADVOCATE
Office at : D-54, Sector -48,
Noida -201301
Email : amit.shukla@lexweb.in
Mob : 9999933220

Date : 09.12.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 34 of 2024

IN THE MATTER OF:

L.B RAI ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH ....RESPONDENT

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 24.04.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Sanjeev Kumar Singh, aged about 38 years S/o Shri Lal Sahab Singh, presently posted as Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board(hereinafter referred as UPPCB), do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the abovementioned capacity I am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 24.04.2024 was pleased to direct as under:

> *"...2. Having regard to the environmental issue raised in the letter petition, we are of the opinion that the Member Secretary, UPPCB is required to consider the grievance of the applicant expeditiously. Member Secretary, UPPCB will get the spot inspection done, ascertain the correct factual position and*

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn- 10943/15 Ex. Dt-28-01-2025 GOVT. OF INDIA

Sk

extent of violation by the Project Proponent and take appropriate action in accordance with law.

3. *Let the action taken report be submitted by the Member Secretary, UPPCB within three months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary the matter will be listed before the Bench for consideration.*

4. *OA is accordingly disposed of....."*

3. That in compliance to the order dated 24.04.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the inspection of the site i.e.M/s Viraj Construction Private Limited, Sun Bridge-1, BBD Green, Village-Shahpur Sarai Shekh and Semra, Lucknowhas been carried by the officials of Regional Office, UPPCB, Lucknow on 15.05.2024. During the inspection dated 15.05.2024 the installed STP of 250 KLD STP was not operational.The sample of untreated sewage discharge from the premises was collected by the inspection team and as per the analysis report the parameters of the effluent were found to be non-complying with respect to BOD-64 mg/l (standard 30 mg/l), TSS-106 mg/l (standard 100 mg/l), Fecal Coliform-49000 (standard 1000).

A true copy of the Inspection Report dated 15.05.2024 alongwith Analysis Report is annexed herewith and marked as **Annexure R/1**.

4. That unit had obtained the Consent to Operate (CTO) from UPPCB with validity till 31.12.2023. The unit has then applied for CTO on 30.12.2023 and officials of Regional Office, UPPCB, Lucknow inspected the unit on 15.01.2024. During inspection dated 15.01.2024 the sample of treated effluent from outlet of STP was

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
GOVT. OF INDIA

collected and the parameter with respect to BOD-42 mg/l (standard 30 mg/l), TSS-108 mg/l (standard 100 mg/l), COD-264 mg/l (standard 250 mg/l) were found to be non-complying and based on above fact UPPCB has refused the CTO application of the unit vide its letter dated 17.02.2024.

A true copy of letter dated 17.02.2024refusing the grant of CTO is annexed herewithand marked as **Annexure R/2**.

5. Thatfurther it is also necessary to mention here that the unit has operated without valid CTO and based on the above facts and findings of inspection dated 15.05.2024, UPPCBhas vide letter dated 01.07.2024 has issued Show Cause Notice under Section-33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended for imposition of Environmental Compensation against the unit at the rate of Rs. 37,500/- per day for default period of01.01.2024 to 15.05.2024(136 days). The Environmental Compensation is calculated based on guideline issued by the CPCB. A true copy of the Show Cause Noticedated 01.07.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R/3**.

6. That the unit in questionhas submitted reply dated 19.07.2024to the Show Cause Notice dated 01.07.2024and also submitted the grievance application dated 26.07.2024. Theofficials of the Regional Office, UPPCB, Lucknow has conducted the inspection of the unit on 02.08.2024. During inspection dated 02.08.2024 it was found that the unit has installed STP of 250 KLD and the treated effluent is being discharged in Tera Nala and the unit has not made provision for reutilization of treated effluent from STP in secondary purposes, which is violation of the Environment Clearance issued to the unit. Based on the above facts,UPPCB has confirmed the show cause

notice and imposed Environmental Compensation of Rs. 51,00,000/- (Rs.Fifty-One Lakh Only) against the unit M/s Viraj Construction Private Limited, Sun Bridge-1, BBD Green, Village-Shahpur Sarai Shekh and Semra, Lucknow vide letter dated 27.08.2024.

A true copy of the letter dated 27.08.2024 imposing the Environmental Compensationis annexed herewith and marked as **Annexure R/4**.

7. That considering the above non-compliance of the unit M/s Viraj Construction Private Limited, Sun bridge-1, BBD Green, Village-Shahpur Sarai Shekh and Semra, Lucknow, the Board has instituteda Complaint Case against the unit along with responsible persons of the unit under Section 43/44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended,before theCourt of Special Judicial Magistrate (Air & Water Pollution), Lucknow vide Criminal Misc. Case No. 6842 of 2024 titled UPPCB Vs. M/s Viraj Construction Private Limited, which has been registered on 27.11.2024 and is now listed on 04.01.2025 for consideration.

Sk

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this ...9.th day of December, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow
GOVT. OF INDIA
9/12/24

Sworn and Verified before me.
9/12/24
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

Sk

DEPONENT

I know & Identify the deponent / Executant who has signed/ put his T.I. before me
S. J. Iqbal Advocate
Reg No. 6943/1996

ANNEXURE R/1

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

मै0 विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ की निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त वर्णित इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा निरीक्षण दिनांक 15/05/24 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि श्री अनुज पचौरी (डीजीएम) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण ओ0ए0 संख्या–34/2024 एल0बी0 राय बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 24/04/2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:–

   "2….. Having regard to the environmental issue raised in the letter petition, we are of the opinion that the Member Secretary, UPPCB is required to consider the grievance of the applicant expeditiously. Member Secretary, UPPCB will get the spot inspection done, ascertain the correct factual position and extent of violation by the Project Proponent and take appropriate action in accordance with law.
   3. Let the action taken report be submitted by the Member Secretary, UPPCB within three months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary the matter will be listed before the Bench for consideration.
   4. OA is accordingly disposed of…."

2. निरीक्षण के समय परियोजना का उपभोग होता हुआ पाया गया। इकाई एक आवासीय परियोजना है इकाई सनब्रीज–1 में टाउनशिप–टी1 से टी12 तक टावर, बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+14, स्विमिंग पुल, क्लब, बिल्डिंग एण्ड रेजीडेन्सियल फ्लैट 776 है। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में परियोजना में मात्र 50 प्रतिशत परिवार निवास कर रहे हैं।
3. आवासीय योजना से जनित घरूल उत्प्रवाह के शोधन हेतु 250 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित है जिसकी प्रमुख ईकाइयां–इक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्चर, बफर टैंक, एनोरॉबिक डाइजेस्टर, प्राइमरी क्लेरीफायर, एरियेशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरीफायर, स्लज ड्राइंग बेड्स है। निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 संचालित नहीं पायी गयी। इकाई परिसर से जनित उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या में जल नमूने में प्रचालकों की मात्रा कमशः पी0एच0 7.33, टी0एस0एस0 106.0 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–64.0 मिग्रा0/ली0 एवं सी0ओ0डी0 210.0 मिग्रा0/ली0 पायी गयी है। जोकि मानकों से अधिक है (छायाप्रति संलग्न)।
4. इकाई में 750 के0वी0ए0 एवं 365 के0वी0ए0 क्षमता के कुल 02 नग डी0जी0 सेट कैनोपीयुक्त स्थापित है। जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई मानको के अनुरूप नही पायी गयी।
5. इकाई को स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्मेंट अथारिटी, उ0प्र0 के पत्रांक सं0–2368/एस0ई0ए0सी0/1059/2011/ए0ए0(एस) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें प्लाट एरिया–12,86,899.68 वर्गमी0 एवं बिल्टप एरिया–13,37,884.43 वर्ग मी0 अंकित है।
6. इकाई को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एफ99099/सी–5/एन0ओ0सी0–595/12 दिनांक 08/02/2012 के माध्यम से कुल निर्माण 317.91 एकड़ क्षेत्रफल हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। इकाई को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–177917/UPPCB/LUCKNOW/(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 DATED-25/04/23 के माध्यम से दिनांक 31/12/23 तक सहमति जल/वायु निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। निरीक्षण के समय इकाई को निर्गत सहमति जल/वायु में निहित शर्तो का अनुपालन होता हुआ नहीं पाया गया। वर्तमान में परियोजना को सहमति जल/वायु निर्गत नही है एवं न ही सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में विचाराधीन है।
7. इकाई द्वारा दिनांक 30/12/23 को आनलाइन सहमति जल/वायु हेतु आवेदन किया गया जिसके अनुकम में इकाई का निरीक्षण दिनांक 15/01/24 को किया गया। निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 के आउटलेट से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के जल नमूने को एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या में प्रचालको की मात्रा कमशः पी0एच0 7.86, टी0एस0एस0 108.0 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–42.0 मिग्रा0/ली0 एवं सी0ओ0डी0 264.0 मिग्रा0/ली0 पायी गयी, जोकि निर्धारित मानको से अधिक होने के कारण इकाई का आवेदित सहमति जल/वायु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। (विश्लेषण आख्या संलग्न)।
8. इकाई का संचालन बिना राज्य बोर्ड की सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है, जोकि जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

MKO
S.A.

चूंकि इकाई राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित है तथा इकाई से जनित प्रदूषित उ... ग्राह के प्रचालक राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नही है। अतः परियोजना के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–B31011/BMW/2019/WMD-I/16314 dated 08/02/2019 द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आंकलन किये जाने हेतु मार्ग दर्शिका के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। उक्त के अनुक्रम में दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 15/05/2024 तक(कुल दिन–136) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नवत् है:–

Penalty=PIxNxRxSxLF
PI Pollution index in the categorizred Red =80
N is number of days which =01 Day
R is a factor in rupees considering =250
S for the categorization of industry which is=1.5 (for Large)
LF is categorization of Population which is=1.25 (for Lucknow)
Penalty=80x250x1.5x1.25x1=37500 /-

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य इकाई में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन मानकों के अनुरूप न किये जाने तथा परियोजना का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत इकाई मै0 विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध निम्न संस्तुति की जाती है:–

1. परियोजना के विरूद्ध दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 15/05/2024 तक(कुल दिन–136) रू0 37500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 51,00,000/– (रू0 इक्यावन लाख मात्र) तथा दिनांक 15/05/2024 से रू0 37500/– प्रतिदिन की दर से अग्रिम सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाना उचित होगा।
2. इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

12/6/24
(निमेष दुबे)
प्रयोगशाला सहायक

UK Chy
12/06/24
(के0के0 चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक

पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी,

12.6.2024

12/06/24

CEO-5, Sir

3247

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26381411/Lucknow/2024

Date:29/05/2024

1- **Name of Industry:** Viraj Construction Pvt. Ltd., Sunbreeze-1 at BBD Green City, Vill- Shahpur, Sarai Sheikh And Semra , BKT
2- **Address of Industry:** Vill- Shahpur, Sarai Sheikh And Semra , BKT
3- **District:** Lucknow
4- **Description about sampling point:** From Outlet of Premises
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Krishna Kumar Chaudhary SA & Nimesh Dubey LA
7- **Colour and Odour:** - -
8- **Quantity and Packing:** 2 Litre Plastic Jerricane, 125 ml Glass bottle
9- **Date of Sample Collection:** 15/05/2024
10- **Analyis Indented by:** RO Lucknow
11- **Date of sample receipt in Lab:** 15/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.33	As per MoEF&CC/CPCB	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	106.0	,,	10-20000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	79000	,,	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	49000	,,	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	64.0	,,	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	210.0	,,	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Arti Gupta(SA)]

Authorized by
SAMRENDRA SINGH Digitally signed by SAMRENDRA SINGH Date: 2024.05.29 18:54:17 +05'30'
Samrendra Singh (ASO)

RAM KARAN Digitally signed by RAM KARAN Date: 2024.05.29 18:54:36 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

ANNEXURE R/2

8

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. - 181773/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 **Dated : 17/02/2024**

To ,

M/S RAVINDRA KUMAR AGRAWAL
MS VIRAJ CONSTRUCTION PVT LTD
Sunbreeze-1 at BBD Green City, village- Shahpur,Sarai Sheikh and Semra, District- Lucknow, U.P.
LUCKNOW

Sub : **Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.**

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 30/12/2023 and received on 30/12/2023under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 09/02/2024 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

RO office has inspected the unit on dated 15.01.2024. As per RO report at the time of inspection the sample from outlet of STP was collected and submitted Central Laboratory, UPPCB, Lucknow for analysis. As per analysis report the parameters i.e. BOD-42 mg/l, COD-264 mg/l, Oil and grease-12.8 mg/l and Fecal Coliform-2100 MPN/100 ml, which is beyond the norms. Hence it is hereby refused the CTO application.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

This order is issued with the approval of competent authority.

(Authorized Signatory)
RAM KARAN Digitally signed by RAM KARAN Date: 2024.02.17
Dr. Ram Karan
Chief Environmental Officer, Circle-5, UPPCB.

Copy To -

Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

RAM KARAN Digitally signed by RAM KARAN Date: 2024.02.17 12:23:23 +05'30'
Dr. Ram Karan
Chief Environmental Officer, Circle-5, UPPCB.
(Authorized Signatory)

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय ।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप में ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका पृथक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या 11/3321 /सी–5/ 186/OA N.34/2024 दिनांक 1-7-24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0,
सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा,
लखनऊ। M. X 8140995247

यह कि मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ में आवासीय परियोजना विकसित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–34/2024 एल0बी0 राय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन में आवासीय परियोजना मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.05.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय परियोजना का उपभोग होता हुआ पाया गया। आवासीय परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 250 के.एल.डी. क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थापित है। निरीक्षण के समय एस.टी.पी. संचालित नही पाया गया। इकाई परिसर से जनित उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार जल नमूनें में प्रचालकों की मात्रा में टी.एस.एस.–106 मिग्रा0/ली0 एवं बी.ओ.डी.–64 मिग्रा0/ली0 पाई गयी, जोकि निर्धारित मानकों से अधिक है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2023 तक सहमति (जल एवं वायु) निर्गत थी, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उक्त परियोजना को सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नही है और न ही इकाई द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इकाई द्वारा पूर्व में दिनांक 30.12.2023 को आनलाईन के माध्यम से सहमति (जल एवं वायु) हेतु आवेदन किया गया, जिसके अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय एस.टी.पी. के आउटलेट से जनित उत्प्रवाह का जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार जल नमूनें में प्रचालकों की मात्रा में टी.एस.एस.–108 मिग्रा0/ली0, बी.ओ.डी.–42 मिग्रा0/ली0 एवं सी.ओ.डी.–264 मिग्रा0/ली0 पाई गयी, जोकि निर्धारित मानकों से अधिक होने के कारण इकाई का आवेदित सहमति (जल एवं वायु) आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इकाई द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये ही संचालन किया जा रहा है, जोकि जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–377/सहमति– 3247/24 दिनांक 12.06.2024 द्वारा इकाई से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के प्रचालक मानकों के अनुरूप न पाये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किये जाने हेतु जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुरूप दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक (कुल 136 दिन) हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन विवरण निम्नवत् है:–

Envrionmental Compensation (EC)= PI x N x R x S x LF
PI- Pollution index of industrial sector =80 (for red category industry)
N-Number of days of violation took place= Per day
R-A factor in Rupees for EC =250/-
S-Factor for scale of operation=1.5 (for Large scale)
LF-Location factor=1.25 (for Lucknow)
Total Environmental Compensation= 80x1x250x1.5x1.25= Rs. 37,500/day

...2

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–33ए के अन्तर्गत इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी.बी.डी. ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किये जाने हेतु जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक (कुल 136 दिन) हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्लू.एम.डी.), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

%

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No..H.16.242/ C-5 /सहमति-450/24

Dated 27/08/24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0,
सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा,
लखनऊ।

विषयः इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.07.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 13321/सी–5/186/ओ0ए0 नं0–34/2024 दिनांक 01.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से इकाई में स्थापित सी.ई.टी. के आउटलेट के नमूनें मानको के अनुरूप न पाये जाने एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये ही संचालन किये जाने के कारण इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना प्रतिउत्तर दिनांक 19.07.2024 प्रेषित किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–745/सहमति–3247/24 दिनांक 14.08.2024 द्वारा अद्यतन आख्या प्रेषित की गयी है। आख्यानुसार उक्त इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना में मानकों के अनुरूप ग्रीन वेल्ट एवं सोलर लाइट की व्यवस्था नही पायी गयी। परियोजना के बेसमेण्ट में 250 के.एल.डी. का एस.टी.पी. स्थापित पाया गया। जबकि इकाई को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22.11.2012 के बिन्दु संख्या–04 में उल्लिखित है कि परियोजना द्वारा 5.0 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. स्थापित किया जायेगा तथा सामान्य शर्त संख्या–55 में उल्लिखित है कि एस.टी.पी. की स्थापना आबादी से दूर की जायेगी ताकि आस–पास के क्षेत्र में बदबू की समस्या न रहें। उक्त का अनुपालन इकाई परियोजना द्वारा नही किया गया।

निरीक्षण के समय उक्त इकाई परियोजना द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण परियोजना के अन्दर गुजर रहे टेरा नाला में ह्यूम पाइप के माध्यम से किया जाता है, जबकि परियोजना को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.09.2018 की विशिष्ठ संख्या–06 में उल्लिखित है कि उत्प्रवाह को एस.टी.पी. के माध्यम से अधिकतम मात्रा में गार्डनिंग, फ्लशिंग में लाया जायेगा तथा शोधित जल के पुनः प्रयोग हेतु इरिगेशन इस्प्रिंकलर एवं डिप इरिगेशन सिस्टम पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। निरीक्षण के दौराना उपरोक्त प्रकिया प्रयोग में नही लायी जा रही थी, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है। इकाई को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–177917/UPPCB/Lucknow/(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2023 तक सहमति (जल एवं वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। निरीक्षण के समय इकाई को निर्गत सहमति (जल एवं वायु) में निहित शर्तों का अनुपालन होता हुआ नही पाया गया। वर्तमान में परियोजना को सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नही है एवं न ही सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन है। इकाई का संचालन बिना राज्य बोर्ड की सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है, जोकि जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

इकाई के पत्र दिनांक 19.07.2024 द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 01.07.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित करते हुए इकाई के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही न किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र दिनांक 19.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 15.05.2024 को बोर्ड अधिकारियों द्वारा इकाई में स्थापित एस.टी.पी. से एकत्र नमूनें में प्रचालक मानको से अधिक पाये जाने के कारण उक्त एस.टी.पी. की मरम्मत का कार्य किया जाना था। इकाई द्वारा बोर्ड से पूर्व प्राप्त सहमति की वैधता (दिनांक 31.12.2023) समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 30.12.2023 को ऑनलाइन सहमति हेतु आवेदन किया गया था।

...2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2024 द्वारा प्रेषित तथ्यों के संबंध में बोर्ड द्वारा पूर्व में दिनांक 15.05.2024, 15.01.2024 को एस.टी.पी. के आउटलेट से एकत्र नमूनें में प्रचालक मानकों से अधिक पाये गये। अग्रेतर अद्यतन में दिनांक 02.08.2024 को एकत्र नमूनों में प्रचालक फीकल कोलीफार्म के सापेक्ष मानकों के अनुरूप नही पाये गये। इकाई द्वारा ऑनलाइन सहमति आवेदन दिनांक 30.12.2023 को बोर्ड के पत्र दिनांक 17.02.2024 द्वारा अस्वीकृत किया गया, जिसमें वर्णित है कि दिनांक 15.01.2024 को इकाई के एस.टी.पी. से एकत्र नमूनें में प्रचालक मानकों के अनुरूप नही पाये गये।

इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2024 में वर्णित है कि इकाई द्वारा दिनांक 22.01.2024 एवं 27.05.2024 को मैसर्स ग्लोबल इन्वायोमेन्टल कन्सलटेन्सी एण्ड रिसर्च सेण्टर तथा मैसर्स एडवान्स इन्वायोमेन्टल टेस्टिंग प्रा0लि0 से एस.टी.पी. के नमूनें विश्लेषित कराये गये। उक्त के संबंध में इकाई द्वारा बोर्ड को पूर्व सूचना प्रेषित नही की गयी एवं न ही बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में उक्त नमूनें एकत्र किये गये। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2024 द्वारा प्रेषित विवरण/तथ्यों पर विचार किया जाना सम्भव नही है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–745/सहमति–3247/24 दिनांक 14.08.2024 के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सनब्रीज–1, बी0बी0डी0 ग्रीन, ग्राम–शाहपुर सराय शेख एवं सेमरा, लखनऊ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.07.2024 की पुष्टि करते हुए दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक कुल 136 दिवस हेतु रूपये 37,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 51,00,000/– (रू0 इक्यावन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अग्रेतर उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 51,00,000/– (रू0 इक्यावन लाख मात्र) का भुगतान जिसका payment gateway (URL: https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना चयन करें।

1.	Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति–	Water Pollution
2.	Regional Officers/क्षेत्रीय कार्यालय–	Lucknow
3.	EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया–	UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन कराते हुए पत्र की पावती के साथ अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5